

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (1)

PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 188] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 6, 1973/श्रावण 15, 1895

No. 188] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 6, 1973/SRAVANA 15, 1895

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel & Administrative Reforms)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th July 1973

G.S.R. 381(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with Rule 11 of the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954, the Central Government in consultation with the Government of Madhya Pradesh hereby makes the following rules further to amend the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954, namely:—

1. (1) These rules may be called the Indian Administrative Service (Pay) Nineth Amendment Rules, 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Schedule III appended to the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954 under the heading "A-Posts carrying pay above the time-scale under the State Governments", against "Madhya Pradesh", the following entry shall be added

"Principal Secretary to Government—Rs. 3000/-"

[No. 33/9/71-AIS(II)-B.]

SHRAVAN KUMAR, Jt. Secy.

मंत्रिमंडल सचिवालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 1973

सा० का० नि० 381(अ).—भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 के नियम 11 के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार मध्य प्रदेश सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नवां संशोधन नियम, 1973 कहा जा सकेगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 के साथ मंलग्न अनुसूची III में 'क—राज्य सरकारों के अधीन समय-वेतनमान से अधिक वेतन वाले पद', शीर्षक के नीचे "मध्य प्रदेश" के सामने निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ दी जाएगी :—

"सरकार के प्रधान सचिव रु० 3000"

[सं० 33(9)/71-आ० भा० से० (II)-ख]

श्रवण कुमार, संयुक्त सचिव।